




राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1335 -दो/08

जिला -टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	संश्लेषण एवं अभिभावक आदेश के संख्या
<p>9.5.14</p> <p>समय दोपहर 12.00 बजे</p> <p>समय दोपहर 3.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0के0 राय एवं आवेदक श्री प्रेमबाई पुत्री गोरेलाल लोधी आदि निवासी ग्राम हीरापुर सरकनपुर नजदीक तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।</p>	
<p>शाम 5.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0के0 राय एवं आवेदक श्री प्रेमबाई पुत्री गोरेलाल लोधी आदि निवासी ग्राम हीरापुर सरकनपुर नजदीक तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0के0 राय एवं आवेदक श्री प्रेमबाई पुत्री गोरेलाल लोधी आदि निवासी ग्राम हीरापुर सरकनपुर नजदीक तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> (अशोक शिवहरे) सदस्य</p>	

